हिमाचल प्रदेश

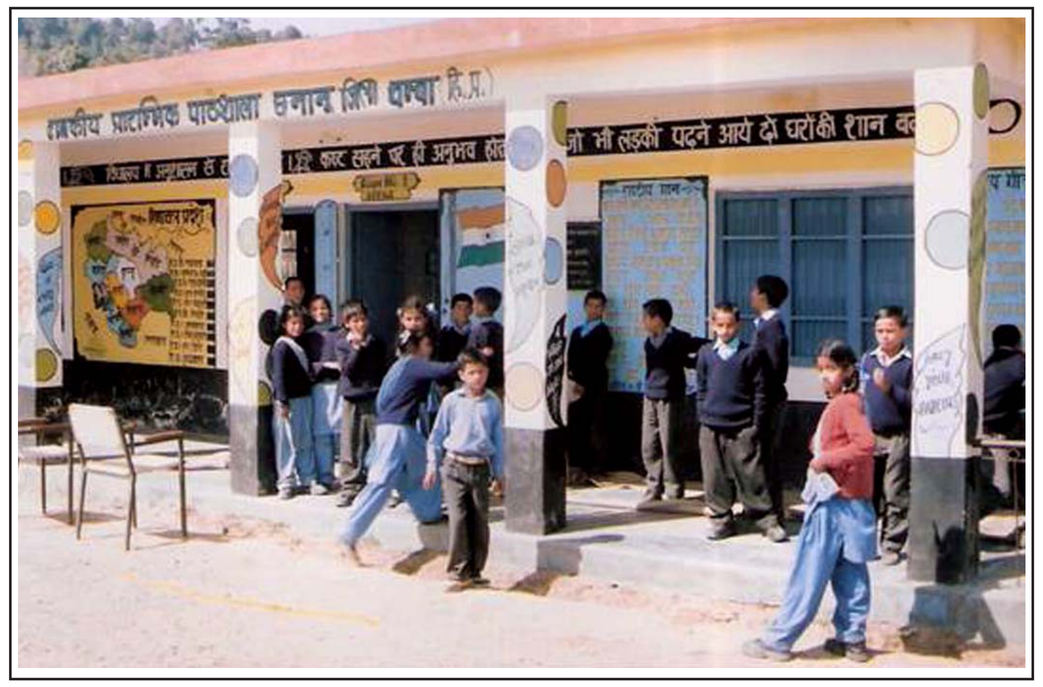

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के मार्गदर्शक सिद्धांत

प्रदेश की प्रारंभिक पाठशालाओं में चलाया जा रहा सर्व शिक्षा अभियान 6–14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को उपयोगी एवं तर्कसंगत शिक्षा को सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम एक निश्चित समयावधि के लिए है तथा इसमें शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर इसे एक मिशन मोड में चलाया जा रहा है। यही नहीं स्कूल प्रबन्धान संबंधी सभी गतिविधियों में जन समुदाय की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित बनाया गया है। प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। राज्य, जिला, खण्ड एवं संकुल स्तर से होते हुए अंततः विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपरोक्त सभी स्तरों पर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी हम अपने पाठकों को दे रहे हैं। इस अंक में सर्व प्रथम हम विद्यालय एवं संकुल स्तर पर होने वाले कार्यों का ब्योरा दे रहे हैं।

विद्यालय स्तर

विद्यालय सुचारू रूप से चलें और उनमें दी जा रही शिक्षा बालोपयोगी एवं तार्किक हो, यह सुनिश्चित करने का कार्य स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अतः उन्हें ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूली गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं प्रबन्धन में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया गया है।

क्योंकि कार्यक्रम में जन समुदाय को पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया है अतः राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत चलने वाली विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से होने अथवा न होने की स्थिति में जन समुदाय भी बराबर का जिम्मेदार है। उनकी सक्रिय भागीदारी एवं तत्परता अभियान की सम्पूर्ण सफलता हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत प्रत्येक विद्यालय में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है साथ ही विद्यालय के स्तर पर मातृ –अध्यापक संघ अथवा अभिभावक अध्यापक संघ भी गठित हैं।

प्रायः देखा गया है कि ग्राम शिक्षा समिति अपने आपको केवल भवन निर्माण अथवा विद्यालय के वित्तीय प्रबधंन तक सीमित रखती है और मातृ–अध्यापक संघ (एम.टी.ए.) और अभिभावक–अध्यापक संघ (पी.टी.ए) बच्चों की शिक्षा के स्तर तथा सीखने –सिखाने की प्रक्रिया, बच्चों और अध्यापकों की उपस्थिति जैसे मुद्दों पर विचार करते हैं। इन संस्थाओं की मदद से विद्यालय में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिये बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति (वी.ई.सी.) या एम.टी.ए. की बैठक नियमित रूप से होती रहे। ग्राम शिक्षा समिति के सभी नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त इन बैठकों में गांव के अन्य लोगों की भागीदारी भी हो।

ग्राम शिक्षा समिति तभी प्रभावी हो सकती है जब प्रत्येक विद्यालय के रखरखाव व प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से एम.टी.ए./ पी.टी.ए. तथा ग्राम स्तर के अन्य संगठनों को भी शामिल किया जाए। गॉव में बने महिला मण्डल, युवक मण्डल व अन्य सामाजिक सगंठन भी जब विद्यालय के बारे में विचार करेगें और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेगे तभी हम माध्यमिक स्तर की शिक्षा को देश भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जा पायेंगे।

विद्यालय के स्तर पर होने वाली बैठकों में ग्राम शिक्षा समिति, एम.टी.ए., पी.टी.ए., महिला मण्डल, युवक मण्डल व अन्य संगठनों के सदस्यों का भाग लेना जरूरी है। ग्राम शिक्षा समिति और एम.टी.ए./ पी.टी.ए. की बैठकों की कार्यवाही का अलग –अलग रिकार्ड तो रखा जा सकता है परन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक माह विद्यालय स्तर पर एक विस्तृत बैठक हो जिसमे विद्यालय से जुड़े सभी मुददों विशेषकर बच्चों की शिक्षा के स्तर पर विस्तार से चर्चा हों। यह जरूरी है कि यह बैठक छुट्टी के दिन या सुबह अथवा शाम को ऐसे समय पर हो जब ज्यादा से ज्यादा लोग बैठक में भाग ले सकें।

यह भी जरूरी है कि विद्यालय के स्तर पर प्रति माह एक बैठक हो जिसमें अध्यापक, बच्चों के माता–पिता (एम.टी.ए./पी.टी.ए.के सदस्य), पंचायत के प्रतिनिधि एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य भाग लें।

जन समुदाय की मुख्य भूमिका

बैठक में चर्चा के मुख्य पहलू -

(i) अध्यापक माता पिता को बच्चों के उपलब्धि स्तर व उनकी प्रगति से अवगत करवायें व अगर कोई विशेष समस्या है तो उस पर चर्चा करें; अभिभावकों, गांव के लोगों से अपेक्षित सहयोग पर निर्णय लेंगे एवं विशेष बच्चों तथा धीरे सीखने वाले बच्चों या फिर विशेष चिन्हित समूहों की आवश्यकताओं पर भी बात करें।

(ii) स्कूल व बच्चों की सफाई के प्रति जागरूकता एवं स्वास्थ्य सम्बंधी अन्य बातों पर भी चर्चा करें।

(iii) विद्यालय में पानी की व्यवस्था और शौचालयों के रखरखाव का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में शौचालय इस्तेमाल योग्य हो तथा बच्चों को साफ पानी मिले।

(iv) भवन निर्माण व अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए।

(v) बच्चों व अध्यापकों की उपस्थिति/स्कूल छोड़ने वाले/ स्कूल के बाहर बच्चों की समस्या और उसका समाधान। यह सुनिश्चित करें कि (वी.ई.आर.) के मुताबिक विद्यालय के क्षेत्र के सभी बच्चे स्कूलों में हों, ऐसा न होने पर आवश्यक कार्यवाही करें।

(vi) विद्यालय की समस्याएं जानें और उनका स्थानीय समाधान निकालें। स्कूल विकास योजना (एस.डी.पी.) के आधार पर कार्य करें।

(vii) हर विद्यालय में दोपहर के भोजन को बनाए जाने के समय उसकी देखभाल करने व रोजाना भोजन को चख कर देखने के लिए माताओं को बारी–बारी कार्यभार सौपे। इसके लिए हर विद्यालय में सूची बनाई जानी जरूरी है जो प्रति माह बैठक में तैयार की जाए और हर समय विद्यालय में उपलब्ध हो। माताओं द्वारा भोजन की गुणवत्ता के बारे में दी गई टिप्पणी को स्कूल रजिस्टर में रोजाना दर्ज किया जाए।

ग्राम शिक्षा समिति उपरोक्त बातों के अलावा विद्यालय की अन्य जरूरतों पर भी चर्चा कर सकती है। अगर कोई मामला ऐसा हो जो सरकार से हल किया जाना है उसके बारे में सी.आर.सी.(कलस्टर रिर्सोस कोऑर्डिनेटर) को अध्यापक के माध्यम से अथवा सीधे तौर पर सूचित करें। सी.आर.सी. जब भी उस विद्यालय का दौरा करे तो विद्यालय की समस्या के समाधान का प्रयास करें। क्योंकि प्रधान ग्राम पंचायत ही VEC के अध्यक्ष हैं इसलिए अगर किसी मद के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान न हो तो सरकार की अन्य स्कीमों से समुदाय सहयोग से संसाधन जुटा कर समस्या का समाधान करने के प्रयास करें।

हर विद्यालय में, अन्य रिकार्ड के अतिरिक्त, निम्न रजिस्टर होने चाहियेः

1. उपर वर्णित मासिक बैठक की कार्यवाही का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक मास की बैठक में की गई चर्चा व निर्णयों का रिकार्ड हो।
2. दोपहर के भोजन (मिड डे मील) को जाचंने के बाद माताओं/ महिलाओं द्वारा की गई टिप्पणियों का रिकार्ड रखने का रजिस्टर।
3. 'विजिटर बुक' जिसमें बाहर से आने वाले सभी लोग अपने विचार / टिप्पणी दर्ज करें।

इन बैठकों का रिकार्ड रखना आवश्यक है ताकि किसी भी समय सी.आर.सी अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा देखा जा सके। सी.आर.सी. प्रति माह विद्यालय के दौरे के दौरान विद्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों में अपनी टिप्पणी दर्ज करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कलस्टर में हर एक विद्यालय में मासिक बैठक हो, और दोपहर के भोजन के बारे में उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही हो। अगर किसी भी विद्यालय में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं होती तो उस विद्यालय के अध्यापक व सम्बधित सी.आर.सी. इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

ग्राम शिक्षा समिति के नामांकित सदस्य अथवा ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नामांकित सदस्य हर तिमाही में किसी भी एक दिन विद्यालय का निरीक्षण करें। इस निरीक्षण के दौरान निरीक्षण समिति विद्यालय में शिक्षा के स्तर, छात्रों व अध्यापकों की उपस्थिति, विद्यालय को प्राप्त ग्रांट के उपयोग तथा विद्यालय के भवन निर्माण अथवा रखरखाव जैसे विषयों पर अपनी टिप्पणी ग्राम शिक्षा समिति की बैठक के रजिस्टर में दर्ज करें। इस निरीक्षण के दौरान अगर कोई अनियमितता पाई जाये या फिर विद्यालय की कोई ऐसी समस्या की पहचान की जाये जिसका समाधान खण्ड /जिला/ राज्य स्तर से होना है तो ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी /खण्ड स्रोत समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला परियोजना अधिकारी, शिक्षा निदेशक / राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान से सम्पर्क करे। जहां तक हो सके विद्यालय स्तर की समस्याओं का निपटारा सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय के स्तर पर किया जाना चाहिये। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सचिव (सम्बंधित विद्यालय के अध्यापक) यह सुनिश्चित करें कि वी.ई.सी. से सम्बधित प्रत्येक निर्देश को वे ग्रम शिक्षा समिति की मासिक बैठक में रखें।

हर स्कूल में ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से 'विद्यालय विकास योजना' तैयार की जाये। वी.ई.सी. इस योजना की तैयारी के लिये एम.टी.ए./पी.टी.ए./महिला मण्डल/ युवक मण्डल, पंचायत व ग्राम स्तर के अन्य संगठनों व सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लें तथा योजना को तैयार करने के बाद हर वर्ष इस योजना के अनुरूप विद्यालय की प्रगति का मूल्यांकन होगा तथा आगामी वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। हर एक स्कूल में एक विलेज एजूकेशन रजिस्टर (वी.ई.आर.) रखा गया है जिसमें स्कूल के आसपास के क्षेत्र से हर एक बच्चे का रिकार्ड रखा जाता हैं समिति सुनिश्चित करें कि यह रिकार्ड रखा जाये तथा अपडेट हो।

ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रम सभा की पहली बैठक में ग्राम शिक्षा समिति के वित्तीय लेखे जोखे को प्रस्तुत किया जाता है। इस सम्बंध में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा सभी की टिप्पणी को ध्यानपूर्वक नोट करके विद्यालय के प्रबंधन को सुधारने का कार्य किया जाना अपेक्षित है।

निर्माण कार्यों में ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका विशेष महत्व रखती है। समिति को सुनिश्चित करना होता है कि निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ही पूरे हों। अतिरिक्त कमरे के निर्माण की अवधि– छः महीने, बीआरसी भवन– एक साल, सीआरसी भवन– 8 महीने, चार दीवारी– दो महीने, शौचालय– तीन महीने, पेयजल सुविधा–दो महीने तथा रसोई घर का निर्माण तीन महीने की समय सीमा में पूरा हो जाना चाहिए।

ग्राम शिक्षा समिति यदि चाहे तो एम.टी.ए./ पी.टी.ए. के किसी सदस्य को अथवा वी.ई.सी. के नामांकित सदस्य अथवा सदस्यों को क्लस्टर स्तर की बैठक में भाग लेने के लिये प्राधिकृत कर सकती है। सदस्यों को बैठक में भाग लेने का खर्चा स्वयं वहन करना होता है।

जिला चम्बा के बनीखेत खण्ड की राजकीय माध्यमिक पाठशाला, ग्रंगर (गोली)

संकुल स्तर

विद्यालय स्तर पर अध्यापकों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 2104 संकुल स्रोत केन्द्र बनाए गए हैं तथा संकुल स्रोत केन्द्र समन्वयक (सी.आर.सी.) की सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में यह एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। प्रशासन एवं लक्षित समूह के मध्य तालमेल बनाना व पारस्परिक संवाद स्थापित करने का जिम्मा इन्हीं पर है। अतः सी.आर.सी. को अभियान की सफलता के लिए निम्न भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है :

शैक्षिक एवं प्रशासनिक भूमिका :

✳ बच्चों को स्कूल में लाने, बनाये रखने तथा उनका उपलब्धि स्तर बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना।
✳ सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में गुणवत्ता लाने हेतु कदम उठाना।
✳ संकुल स्रोत केन्द्र को संसाधन केन्द्र बनाने का प्रयास करना जहां विभिन्न प्रकार की किताबें, डिस्कशन पेपर इत्यादि की व्यवस्था हो।
✳ विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करना तथा कठिन बिंदुओं पर अध्यापकों की समस्याओं का समाधान करना।
✳ अध्यापन–अधिगम सामग्री (TLM) का निर्माण एवं कक्षा में उसके प्रभावी प्रयोग के प्रति अध्यापकों को उत्प्रेरित करना।
✳ किसी एक स्कूल को अपनाकर उसे संकुल के मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना।
✳ संकुल स्रोत समन्वयकों की बैठक का आयोजन करना।
✳ कार्यशालाओं, ओरियन्टेशन कार्यक्रमों, सेमीनारों आदि का आयोजन करना।
✳ बालिका शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार करना।
✳ संकुल स्रोत समूह का गठन करना जिसमें सेवानिवृत्त अध्यापकों/शिक्षाविदों को जोड़कर विषयानुरूप अध्यापन सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण करना। इस समूह में 10 से 15 सदस्य होने चाहिए।

विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन

❑ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संकुल स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित करना।
❑ प्रदेश में अधिकांशतः स्कूलों में दो से तीन अध्यापक हैं। ऐसे में बहुकक्षीय शिक्षण प्रणाली आवश्यक है। अतः अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर बहुकक्षीय शिक्षण की विधाओं तथा बहुकक्षीय शिक्षण में शिक्षक की भूमिकाओं के बारे में अवगत कराना।

नियोजन (Planning)

❒ स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे जो कभी स्कूल नहीं आये तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित करने हेतु सर्वेक्षण करवाना व उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की व्यवस्था करना।
❒ वार्षिक कार्य योजना बनाने में सहयोग करना।
❒ संकुल स्रोत केन्द्रों को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए रणनीति बनाना।
❒ शैक्षणिक वातावरण बनाने सम्बन्धी अभियान चलाना।
❒ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (CWSN) की गृह आधारित शिक्षा की व्यवस्था करना।
❒ सामुदायिक सदस्यों/अध्यापकों/निर्वाचित सदस्यों को किसी स्कूल को अपनाकर उसकी शैक्षणिक एवं ढांचागत मदद करने के लिए प्रेरित करना।
❒ संकुल स्तर पर बैठकों का आयोजन करना व बी.आर.सी. स्तर की बैठकों में भाग लेना।

समन्वयन (Coordination)

✳ सम्बन्धित अध्यापकों व मुख्याध्यापकों के साथ समन्वय बनाना।
✳ अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
✳ समुदाय/ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक–अध्यापक संघ का सशक्तिकरण करके उन्हें मालिकाना अधिकार के प्रति जागरूक करना ताकि वे स्वयं अभियान की गतिविधियों में रुचि लें।
✳ सम्बन्धित खण्ड स्रोत समन्वयक/डाइट/राज्य परियेाजना कार्यालय/एस.सी.ई.आर.टी. के साथ समन्वय बिठाना। सामुदायिक नेताओं को विश्वास में लेना।

मॉनीटरिंग (Monitoring) :

❖ कक्षा–कक्ष प्रक्रिया का अवलोकन कर शैक्षणिक गतिविधियों की मॉनीटरिंग करना।
❖ अध्यापक द्वारा कक्षा में दिए जा रहे मॉडल लेसन की मॉनीटरिंग करना।
❖ टी.एल.एम. के व्यापक इस्तेमाल की जानकारी लेना।
❖ अधीनस्थ स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना तथा ये सुनिश्चित करना कि कोई भी स्कूल अध्यापक की अनुपस्थिति के कारण बंद न रहे। यह उपस्थिति चाहे सरकारी कार्य के कारण हो अथवा गैर सरकारी कार्य के कारण।
❖ अध्यापकों/मुख्याध्यपकों/ग्रामीण शिक्षा समिति द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों हेतु प्रशिक्षण देना एवं मानीटरिंग करना।
❖ स्कूल के निर्माण कार्य का समय–समय पर जायजा लेना और यह देखना कि कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो।
❖ स्कूल अनुदान/रखरखाव अनुदान/अध्यापक अनुदान आदि नियमित अनुदानों की मानीटरिंग तथा समयानुसार आबंटन।
❖ ग्राम शिक्षा पंजिका (वी.ई.आर.), वी.ई.सी. व्यय सम्बन्धी विवरण तथा स्कूल विकास योजना की मानीटरिंग करना।
❖ सी.आर.सी. का संसाधन केन्द्र के रूप में विकास करना।
❖ अध्यापकों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
❖ विज्ञान व गणित प्रयोगशाला की व्यवस्था करना जहां अध्यापक विभिन्न प्रयोग कर सकें।
❖ अध्यापन–अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) कक्ष, विभिन्न चार्ट व पोस्टर तथा डिस्कशन पेपर्ज की व्यवस्था करना।
❖ बच्चों द्वारा तैयार आर्ट एवं क्राफ्ट का प्रदर्शन कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
❖ अध्यापकों को लिखने–पढ़ने हेतु प्रेरित करना ताकि वे छात्रों से नव विचार व सूचनाएं साझा कर सकें।

प्रपत्रों को भरने हेतु प्रशिक्षण (Training in filling up of performas)

❖ स्कूल स्तर पर भरे जाने वाले प्रपत्रों हेतु अध्यापकों/ मुख्याध्यापकों/ग्राम शिक्षा समिति को प्रशिक्षण देना।
❖ स्कूल स्तरीय प्रपत्रों का संकलन करने हेतु प्रशिक्षण।
❖ संकुल स्तरीय प्रपत्रों : CLF-II (a) (b) (c) (d) को भरने हेतु प्रशिक्षण।
❖ बी.आर.सी. को फीडबैक भेजने के लिए एनालिटिकल शीट तैयार करना।
❖ डाइस फॉरमेट भरने हेतु प्रशिक्षण।

सबको समझाओ !!

✍ रामप्रसाद शर्मा 'प्रसाद'

सर्वशिक्षा का,
अभियान चला है
मानो इसी में,
सबका भला है॥
सबके सब,
पढ़–लिखे जाओ।
सबको समझाओ।

बिन शिक्षा के,
घुप्प अन्धेरा।
लाएंगे हम,
नया सवेरा।
गर्व से तुम,
छाती फुलाओ।
सबको समझाओ।

सबके लिए है,
शिक्षा जरूरी।
बिन इसके है,
जिंदगी अधूरी॥
अनपढ़ता का,
परदा उठाओ।
सबको समझाओ।

हर बच्चे को,
स्कूल में लाना।
कक्षा आठवीं,
पास कराना॥
सरकार का यह
ध्येय बताओ।
सबको समझाओ।

दो हजार दस तक,
कार्यक्रम चलेगा।
सपना हमारा,
अवश्य फलेगा॥
सुर में सुर,
ऐसा मिलाओ।
सबको समझाओ।

'प्रसाद' साकार करो,
यह एक सपना।
भला चाहो,
जो तुम अपना॥
न कभी चूके,
ऐसा निशाना बनाओ।
सबको समझाओ।

फॉलोअप (Feedback)

★ खण्ड स्रोत समन्वयक एवं जिला परियोजना अधिकारी को वस्तुस्थिति की जानकारी देना।
★ जिन शैक्षणिक कठिनाइयों का समाधान संकुल स्तर पर न हो सका हो उनकी वस्तुस्थिति से खण्ड स्रोत समन्वयक को अवगत कराना तथा विषय सम्बन्धी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकतानुरूप मांग करना।
★ निर्माण कार्य की वस्तुस्थिति से खण्ड स्रोत समन्वयक को अवगत कराना।

(आगामी अंक में आप पढ़ेंगे खण्ड, ज़िला एवं राज्य स्तर के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में)

पाठकों से...

पाठकगण अपने जिला, खण्ड, संकुल या स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में हमें सूचित करें। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी यह पृष्ठ हर माह के अंतिम बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। पाठकगण सर्व शिक्षा अभियान संबंधी किसी भी सुझाव व जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :–

राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001
दूरभाष : 2658668, फैक्स : 2808624

आलेख एवं प्रस्तुति : **ज्योति रावत**

हिमाचल प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के मार्गदर्शक सिद्धांत